11-2011 16:14 From: To:2203344

(NPS)

DD NPS-
12.10.11

राजस्थान--सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.4(8वित्त/राप्रस्व/05 पार्ट लूज जयपुर, दिनांक : 12

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.8.2009 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की राशि को ट्रस्टी बैंक एवं अंशदान के व्यक्तिगत विवरण को सेन्ट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी (सीआरए) को स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है। अंशदान की राशि को समय पर ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) को स्थानान्तरित करने में कोष कार्यालय एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की मुख्य भूमिका होगी।

अंशदान की राशि को बैंक ऑफ इंडिया को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि NPS के अंशदान की राशि का जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की भाँति चैक बनाकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को कोषाधिकारी द्वारा प्रतिमाह भिजवाया जायेगा। प्रत्येक कोष कार्यालय में इस प्रक्रिया हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित एक निजी निक्षेप खाता (PD Account) अलग से खोला जायेगा।

2259

इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

1. कोष कार्यालय में बिल पारित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि कर्मचारी के एनपीएस अंशदान के साथ--साथ राजकीय अंशदान का भी बिल आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यदि राजकीय अंशदान का बिल वेतन बिल के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वेतन बिल पारित नहीं किया जावे। राजकीय अंशदान के बिल को भी कोषाधिकारी द्वारा उसी समय पारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. कोष कार्यालय में तैयार की जाने वाली नवीन पेंशन योजना की विवरण सूची में कर्मचारी का अंशदान एवं राजकीय अंशदान की राशि को पृथक--पृथक दर्शाया जायेगा और इस राशि को बजट मद 8011--106-- (03)-[01] में समायोजित किया जायेगा।
3. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अंशदान की राशि को भी स्वयं के अंशदान व राजकीय अंशदान अलग--अलग दर्शाते हुए कवरिंग लिस्ट बनाई जायेगी और इस राशि को बजट मद 8342--117--(01) में समायोजित किया जायेगा।
4. प्रत्येक कोष कार्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान के लिए एक पी. डी.खाता खोला जावे, जिससे राशि आहरण के अधिकार संबंधित कोषाधिकारी को होंगे।
5. कोष कार्यालय के मासिक लेखा भिजवाने के साथ ही कवरिंग लिस्ट के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना की राशि संबंधित कोषाधिकारी द्वारा बी.टी. के माध्यम से उक्त पी.डी.खाते में जमा/समायोजित करवायी जायेगी।

6. प्रत्येक कोषाधिकारी पी.डी. खाते से राशि आहरित कर दो चैक बीमा विभाग के जिलाधिकारी को भिजवायेंगे। प्रथम चैक राज्य कर्मचारी/जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों की कटौती राशि का होगा जो जिलाधिकारी के पदनाम से बनाया जायेगा तथा द्वितीय चैक जिले में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के एनपीएस खाता धारकों के अंशदान की राशि का होगा (जिसमें दोनों अंशदान शामिल हैं)। यह चैक उप निदेशक एनपीएस जयपुर के पदनाम से बनाया जायेगा। उक्त चैक महालेखाकार कार्यालय को लेखा विवरण भिजवाने के आगामी दो कार्य दिवसों के भीतर अवश्य जारी किये जायेंगे।

7. बीमा विभाग के जिला कार्यालय द्वारा एनपीएस अंशदान की राशि के चैक प्राप्त होते ही उन्हें नवीन पेंशन योजना के लिए जिला स्तर पर खोले गये खाते में जमा करवाया जायेगा।

8. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित चैक उप निदेशक, एनपीएस जयपुर के नाम से एसबीबीजे कलेक्ट्रेट जयपुर में खोले गये खाता संख्या 61130313884 में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमा करवाया जायेगा एवं जमा कराने की सूचना मय कटौती पत्र के मुख्यालय जयपुर को अविलम्ब भिजवायी जायेगी।

9. बीमा विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित अंशदाताओं की कटौतियों का मिलान कर विवरण सीआरए (एनएसडीएल) के पोर्टल पर अपलोड करते हुए अधिकतम 7 कार्य दिवसों में अंशदान राशि एनपीएस बैंक खाते से ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के खाता संख्या 660010110003361 में ऑन-लाईन/आर टी जी एस के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

10. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की अंशदान राशि का विवरण सी.आर.ए. के पोर्टल पर उप निदेशक एनपीएस मुख्यालय द्वारा अपलोड करते हुए बैंक खाते से ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के खाता संख्या 660010110003361 में ऑन-लाईन/आर टी जी एस के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

11. जिन अंशदाताओं को एनएसडीएल द्वारा स्थाई सेवानिवृति खाता संख्या PRAN जारी कर दिये गये हैं उनसे संबंधित कटौती पत्रों में PRAN ही अंकित किया जायेगा। जिलेवार प्रान आवंटन की सूची बीमा विभाग के वेब-सांईट पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

ह०/-
(विनोद पण्ड्या)
विशिष्ट शासन सचिव, (व्यय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान,जयपुर
3. समस्त कोषाधिकारी ....
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ....
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।

(सुभाष चन्द शर्मा)
विशेषाधिकारी,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग